<u>न्यायालय तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अम्बेडकरनगर</u>

<u>सरकार——बनाम——अनन्तराम यादव आदि</u>

सत्र परीक्षण सं0—167/2013

मु0अ0सं0—115/2013

धारा—147,148,307,149,411,414,419,
420,467,468,471 भा0दं0सं0

थाना—को0 अकबरपुर

जिला—अम्बेडकरनगर।

<u>25.08.2022</u>

वाद पुकारा गया। पत्रावली पेश हुई। अभियुक्त सूरज वर्मा जरिये वीडियो कान्फ्रेसिंग उपस्थित। शेष अभियुक्तगण की हाजिरी माफी प्रर्थनापत्र प्रस्तुत आज के लिए स्वीकृत। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्त अनन्त राम यादव उर्फ राज यादव की मृत्यु आख्या थाने से प्राप्त होकर पत्रावली में संलग्न है। उक्त आख्या को साबित करने के लिए सी0डब्लू—1 कां0 पैरोकार रानू सरोज का साक्ष्य आज दिनांक—25.08.2022 को अंकित हो चुका है। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट हो रहा है, कि अभियुक्त अनन्त राम यादव उर्फ राज यादव की थाना से प्राप्त मृत्यु आख्या **प्रदर्श—ख1** में इस आशय की आख्या अंकित है कि '' सम्मन की तामीला मुझ आरक्षी द्वारा अमल में लाया गया अनन्तराम यादव उर्फ राज यादव पुत्र जयराम यादव निवासी जरही थाना—महराजगंज जनपद—अयोध्या की मृत्यु लगभग तीन वर्ष पहले हो चुकी है।'' संबंधित थाना द्वारा ग्राम पंचायत जरही वि0ख0 मया बाजार जनपद—अयोध्या के ग्राम प्रधान द्वारा जारी मृत्यु तहरीर प्रस्तुत की गयी है। थाना से प्राप्त आख्या एवं उसके साथ संलग्न मृत्यु प्रमाण—पत्र को सी0डब्लू0—1 कां0 पैरोकार रानू सरोज के द्वारा साबित किया गया है। इस प्रकार थाने द्वारा प्राप्त करायी गयी आख्या प्रदर्श—ख1 व ख2 व ग्राम प्रधान द्वारा दिये गये मृत्यु प्रमाण पत्र से स्पष्ट है कि अभियुक्त अनन्त राम यादव उर्फ राज यादव की मृत्यु लगभग तीन वर्ष पूर्व हो चुकी है। ऐसे में अभियुक्त शकील अहमद के विरूद्ध मामले में किसी प्रकार की कार्यवाही किये जाने की कोई औचित्य नहीं है। अतः अभियुक्त शकील अहमद के विरूद्ध वाद उपशमित किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त शकील अहमद के विरूद्ध वाद उपशमित किया जाता है। पत्रावली दिनांक—07.09.2022 को वास्ते साक्ष्य पेश हो।

(नेहा आनन्द)
तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
अम्बेडकरनगर
जे0ओ0नं0—यू.पी. 6316